

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरुस्ती वस्तुतः विधिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरुस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :- नाम ग्राम- पटवार मण्डल-

सत्यमेव जयते		पूर्व इन्द्राज		स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज			
क. स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	
	भगवानाराज पुज	217	5.75	भगवान सिंह पुज पेमा	217	5.75	
	पेमा (पु) डोम	445	1.43	राम डोम जाट सा	445	1.43	
	जाट सा डेह	02	7.18	केठ खालेवर	02	7.18	
	खालेवर						

क्रमांक :

प्रतिलिपि पालनार्थ :- 566/20
1. तहसीलदार डीडवाना 19/9/20

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
मिनांक

क्रमांक :

प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. पटवारी हल्का को भेजकर लेख है कि उक्त आयोजना का प्रमाण तारी को को विवेकानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
मिनांक

तहसीलदार डीडवाना